

क्रमांक : आरएनसी/शैक्ष0/2022/1388

दिनांक: 24-11-2022

प्रधानाचार्य,
समस्त राजकीय एवं निजी नर्सिंग संस्थान,
(ए.एन.एम./जी.एन.एम/ बी.एस.सी नर्सिंग/
पोस्ट बेसिक बी.एस.सी नर्सिंग एवं एम.एस.सी नर्सिंग संस्थान)
राजस्थान

विषय :- आपकी संस्थान में बायोमेट्रिक द्वारा उपस्थिति सुनिश्चित करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके संस्थान में कार्यरत समस्त स्टाफ एवं सभी कोर्स में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों का बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति दर्ज किये जाने की व्यवस्था पत्र प्राप्ति की दिनांक से दर्ज किया जाना सुनिश्चित करावें।

उपरोक्त निर्देशों की पालना नहीं किये जाने की स्थिति में संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। जिसके लिए संस्था उत्तरदायी रहेगी।



(डॉ. शशिकान्त शर्मा)

रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

क्रमांक:-आर.एन.सी./शैक्ष0/2022/1388

दिनांक 24-11-2022

प्रतिलिपी :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ एवं पदेन अध्यक्ष (आरएनसी) जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।



रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर